[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2012 का विधेयक संख्यांक 63

[दि चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2012 का हिन्दी अनुवाद]

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

बृहत् नाम का संशोधन।

1986 का 61

2. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के बृहत् नाम के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''सभी उपजीविकाओं में बालकों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने और परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम''।

संक्षिप्त नाम का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, ''बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर ''बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे। 1986 का 61

धारा 2 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (i) को उसके खंड (iक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (iक) से पहले निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(i) ''कुमार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है, किन्तु अपनी आयु का अठारहवां वर्ष पूरा नहीं किया है;';

(ख) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ii) ''बालक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष या ऐसी आयु जो नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट की जाए, इनमें से जो भी अधिक है पूरी नहीं की है;'; 2009 का 35

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

किसी उपजीविका और प्रक्रिया में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

''3. कोई बालक, किसी उपजीविका या प्रक्रिया में नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां कोई बालक अपने विद्यालय के समय के पश्चात् अपने कुटुंब की सहायता करता है या खेतों, गृह-आधारिक कार्य, वन्य संग्रहण में अपने कुटुंब की सहायता करता है या विद्यार्जन के प्रयोजन के लिए प्रावकाशों के दौरान तकनीकी संस्थाओं में उपस्थित होता है, किन्तु इसमें ऐसी कोई सहायता या तकनीकी संस्थाओं में उपस्थित होना सम्मिलित नहीं है जहां ऐसे श्रम या काम का जो आउटसोर्स किया जाता है या गृह में किया जाता है, गौण संबंध है।''।

नई धारा 3क का अंत:स्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों का प्रतिषेध।

''3क. कोई कुमार, अनुसूची में उपवर्णित किन्हीं परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।''।

धारा 4 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 4 में ''अनुसूची में किसी उपजीविका या प्रक्रिया को जोड़ सकेगी'' शब्दों के स्थान पर ''अनुसूची में किसी परिसंकटमय उपजीविका या प्रक्रिया को जोड़ सकेगी या उसमें से लोप कर सकेगी'' शब्द रखें।

भाग 3 का लोप।

8. मूल अधिनियम के भाग 3 का लोप किया जाएगा।

धारा 14 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(1) जो कोई किसी बालक को धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करता है या काम करने के लिए अनुज्ञात करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा :

परन्तु ऐसे बालक के माता-पिता या संरक्षक को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे ऐसे बालक को, धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अनुज्ञात न करें।

(1क) जो कोई किसी कुमार को धारा 3क के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करता है या काम करने के लिए अनुज्ञात करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु ऐसे कुमार के माता-पिता या संरक्षक को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे ऐसे कुमार को, धारा 3क के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करने के लिए अनुज्ञात न करें।''

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) ''धारा 3'' शब्द और अंक के स्थान पर ''धारा 3 या धारा 3क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) ''छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी'' शब्दों के स्थान पर ''एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

नई धारा 14क का अंत:स्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अपराधों का संज्ञेय होना।

1974 का 2

''14क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।''।

नई धारा 17क और धारा 17ख का अंत:स्थापन।

11. धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपबंधों का कार्यान्वयन किया जाना।

''17क. समुचित सरकार, जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबंधों का उचित रूप से कार्यान्वयन किया जाए, ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी, जो आवश्यक हों तथा जिला मजिस्ट्रेट, उसके अधीनस्थ के ऐसे अधिकारी को, जो इस प्रकार प्रदत्त या अधिरोपित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा ऐसी स्थानीय सीमाओं को, विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का निर्वहन किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो विहित किया जाए, किया जाएगा।

निरीक्षण और मानीटर करना।

17ख. समुचित सरकार, ऐसे स्थानों का, जहां पर बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है, और परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं को किया जाता है ऐसे अंतरालों पर, जो वह ठीक समझे, कालिक निरीक्षण करने और करवाने के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों से संबंधित मुद्दों को मानीटर करेगी।''।

धारा 18 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ख) धारा 17क के अधीन, किसी विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्य तथा ऐसी स्थानीय सीमाएं, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का पालन किया जाएगा।''।

अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन।

13. मूल अधिनियम में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

'अनुसूची

(धारा 3क देखिए)

(1) खानें।

(2) ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक।

(3) परिसंकटमय प्रक्रिया।

स्पष्टीकरण— इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए ''परिसंकटमय प्रक्रिया'' का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 के खंड (गख) में है।'।

1948 का 63

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 कुछ नियोजनों में बालकों को लगाए जाने का प्रतिषेध करने और कुछ अन्य नियोजनों में बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन करने का उपबंध करता है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 3 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में किन्हीं में चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। उक्त अधिनियम की धारा 6 में यह उपबंधित है कि अधिनियम के भाग 3 के उपबंध (जो बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन करने के संबंध में है) ऐसे स्थापन या स्थापनों के किसी वर्ग को लागू होंगे जिसमें धारा 3 में निर्दिष्ट कोई भी उपजीविका नहीं की जाती है।

3. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में बालकों के नामांकन को सुकर बनाने के लिए सभी उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में उनके नियोजन का प्रतिषेध करने और परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों (ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है किन्तु अठारहवां वर्ष पूरा नहीं किया है) के नियोजन का प्रतिषेध करने और क्रमश: आई एल ओ अभिसमय 138 और अभिसमय 182 के अनुरूप कुमारों की सेवा शर्तों को विनियमित करने का प्रस्ताव है।

4. विधेयक के उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए हैं:—

(i) प्रस्तावित अनुसूची में उपवर्णित सभी उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करने संबंधी प्रस्तावित उपबंध को और परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों (ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है किन्तु अठारहवां वर्ष पूरा नहीं किया है) के नियोजन का प्रतिषेध करने संबंधी प्रस्तावित उपबंध को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम के बृहत नाम का संशोधन;

(ii) ''कुमार'', जिसका परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में नियोजन का प्रतिषेध करने का भी प्रस्ताव है, की प्रस्तावित नई परिभाषा को अंत:स्थापित किए जाने की दृष्टि से उक्त अधिनियम के संक्षिप्त नाम का संशोधन;

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 2 में ''कुमार'' की नई परिभाषा का अंत:स्थापन, जिससे ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है किन्तु अठारहवां वर्ष पूरा नहीं किया है;

(iv) ''बालक'' की परिभाषा का यह उपबंध करने के लिए कि बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष पूरा नहीं किया है या ऐसी आयु, जो नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट की जाए, इनमें से जो भी अधिक है, पूरी नहीं की है, संशोधन;

(v) उक्त अधिनियम की धारा 3 का, बालकों के नियोजन का सभी उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में, सिवाय उस दशा के, जहां बालक अपने विद्यालय के समय के पश्चात् अपने कुटुम्ब की सहायता करता है या खेतों, गृह आधारिक कार्य, वन्य संग्रहण में अपने कुटुम्ब की सहायता करता है या विद्यार्जन के प्रयोजन के लिए प्रावकाशों के दौरान तकनीकी संस्थाओं में उपस्थित होता है किन्तु इसमें ऐसी कोई सहायता या तकनीकी संस्थाओं में उपस्थित होना सम्मिलित नहीं है जहां ऐसे श्रम या काम का, जो आउटसोर्स किया जाता है और गृह में किया जाता है, गौण संबंध है, प्रतिषेध करने के लिए संशोधन;

(vi) प्रस्तावित अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों के नियोजन का प्रतिषेध करने के लिए नई धारा 3क का अंत:स्थापन;

(vii) प्रस्तावित विधान की अनुसूची में किन्हीं परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं को जोड़ने या उसमें से लोप करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4 का संशोधन;

(viii) सभी उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम के भाग 3 का लोप;

(ix) किसी बालक का धारा 3 के उल्लंघन में किन्हीं उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में नियोजन करने के लिए या काम करने हेतु अनुज्ञात करने के लिए दंड को, जो कारावास की अवधि को, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगा किन्तु जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा से, बढ़ाकर ऐसा कारावास जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों किए जाने का उपबंध करने के लिए धारा 14 की उपधारा (1) का संशोधन, तथापि ऐसे बालकों के माता-पिता या संरक्षक तब तक ऐसे दंड के दायी नहीं होंगे जब तक वे ऐसे बालकों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अनुज्ञात न करें;

(x) किसी कुमार को किन्हीं परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में नियोजित करने या काम करने हेतु अनुज्ञात करने के लिए कारावास के, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने के, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंड का उपबंध करने के लिए धारा 14 में नई उपधारा (1क) का अंत:स्थापन। तथापि, ऐसे कुमारों के माता-पिता या संरक्षक, तब तक दंड के दायी नहीं होंगे जब तक वे ऐसे कुमारों को, धारा 3क के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करने के लिए अनुज्ञात न करें;

(xi) धारा 14 की उपधारा (2) का, जो ऐसे सिद्धदोष अपराधी के लिए, जो तत्पश्चात् वैसा ही अपराध करता है, दंड का उपबंध करती है, उसमें विद्यमान छह मास के न्यूनतम दंड को बढ़ाकर एक वर्ष करने और दो वर्ष के अधिकतम दंड को बढ़ाकर तीन वर्ष करने के लिए संशोधन;

(xii) नई धारा 14क का यह उपबंध करने के लिए कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी प्रस्तावित विधान के अधीन के अपराध संज्ञेय होंगे, अंत:स्थापन।

(xiii) सभी उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) और खंड (ख) के उपबंधों का लोप;

(xiv) जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदत्त करने और उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित करने हेतु, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावित विधान के उपबंधों का उचित रूप से कार्यान्वयन किया जाए, आवश्यक हों, समुचित सरकार को सशक्त बनाने के लिए और जिला मजिस्ट्रेट को, उसके अधीनस्थ के ऐसे अधिकारी को, जो इस प्रकार प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और इस प्रकार अधिरोपित सभी या किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी स्थानीय सीमाओं को, जिनके भीतर समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किसी अधिकारी द्वारा, ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को कार्यान्वित किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाने हेतु, नई धारा 17क का अंत:स्थापन;

(xv) समुचित सरकार को, ऐसे स्थानों का, जहां पर बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है और परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं को किया जाता है, ऐसे अंतरालों पर, जो वह ठीक समझे, कालिक निरीक्षण करने या करवाने के लिए तथा अधिनियम के उपबंधों से संबंधित मुद्दों को मानीटर करने के लिए सशक्त बनाने हेतु नई धारा 17ख का अंत:स्थापन; और

(xvi) सभी उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों का प्रतिषेध करने और परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों के नियोजन को विनियमित करने की दृष्टि से अधिनियम की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन।

5. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
21 नवम्बर, 2012

मल्लिकार्जुन खरगे

उपाबंध

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्यांक 61) से उद्धरण

* * * * *

कुछ नियोजनों में बालकों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने और कुछ अन्य नियोजनों में बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन करने के लिए अधिनियम

* * * * *

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 है। 1986 का 61

* * * * *

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(ii) ''बालक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष पूरा नहीं किया है;

* * * * *

भाग 2

कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

3. अनुसूची के भाग क में उपवर्णित किसी उपजीविका में या किसी ऐसी कर्मशाला में जिसमें अनुसूची के भाग ख में उपवर्णित कोई प्रक्रिया की जाती है, कोई बालक नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसी कर्मशाला को, जिसमें कोई प्रक्रिया अधिष्ठाता द्वारा अपने कुटुम्ब की सहायता से की जाती है या सरकार द्वारा स्थापित या उससे सहायता या मान्यताप्राप्त करने वाले किसी विद्यालय को लागू नहीं होगी।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

4. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना देने के पश्चात् वैसी ही अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी उपजीविका या प्रक्रिया को जोड़ सकेगी और तब अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

* * * * *

भाग 3

बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन

भाग का लागू होना।

6. इस भाग के उपबंध ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग को लागू होंगे जिसमें धारा 3 में निर्दिष्ट उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में से कोई नहीं की जाती है।

काम के घंटे और कालावधि।

7. (1) किसी बालक से किसी स्थापन में उतने घंटों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जो ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग के लिए विहित किए जाएं।

(2) प्रत्येक दिन के काम की कालावधि इस प्रकार नियत की जाएगी कि कोई कालावधि तीन घंटे से अधिक की नहीं होगी और कोई बालक कम से कम एक घंटे का विश्राम अन्तराल ले चुकने से पूर्व तीन घंटे से अधिक काम नहीं करेगा।

(3) किसी बालक के काम की कालावधि की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह उपधारा (2) के अधीन उसके विश्राम के अन्तराल सहित छह घंटों से अधिक की नहीं होगी, जिसके अन्तर्गत किसी दिन काम के लिए प्रतीक्षा में बिताया गया समय भी है।

(4) किसी बालक से 7 बजे सायं और 8 बजे प्रात: के बीच काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(5) किसी बालक से अतिकाल में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(6) किसी बालक से किसी स्थापन में ऐसे दिन काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जिस दिन वह पहले से ही किसी अन्य स्थापन में काम कर रहा हो।

साप्ताहिक अवकाश दिन।

8. किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक बालक को प्रत्येक सप्ताह में एक संपूर्ण दिन का अवकाश मनाने की अनुज्ञा होगी, वह दिन स्थापन में किसी सहजदृश्य स्थान पर स्थायी रूप से प्रदर्शित सूचना में अधिष्ठाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए दिन में उस अधिष्ठाता द्वारा तीन मास में एक बार से अधिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

निरीक्षक को सूचना।

9. (1) ऐसे स्थापन के संबंध में जिसमें कोई बालक ऐसे स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के ठीक पहले काम करने के लिए नियोजित था या काम करने के लिए अनुज्ञात किया गया था, प्रत्येक अधिष्ठाता ऐसे प्रारम्भ के तीस दिन की कालावधि के भीतर उस निरीक्षक को, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापन अवस्थित है, निम्नलिखित अन्तर्विष्ट करते हुए, लिखित सूचना भेजेगा, अर्थात्:—

(क) स्थापन का नाम और अवस्थिति;

(ख) स्थापन का वास्तव में प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति का नाम;

(ग) वह पता जिस पर स्थापन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जानी चाहिएं, और

(घ) उपजीविका की प्रकृति या स्थापन में की जाने वाली प्रक्रिया।

(2) किसी स्थापन के संबंध में, ऐसा प्रत्येक अधिष्ठाता जो ऐसे स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् किसी बालक को काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात करता है ऐसे नियोजन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर उस निरीक्षक को, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापन अवस्थित है, उपधारा (1) में वर्णित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए लिखित सूचना भेजेगा।

स्पष्टीकरण— उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए ''किसी स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख'' से ऐसे स्थापन के संबंध में इस अधिनियम को प्रवृत्त करने की तारीख अभिप्रेत है।

(3) धारा 7 और धारा 8 और धारा 9 की कोई बात, किसी ऐसे स्थापन को जिसमें अधिष्ठाता द्वारा कोई प्रक्रिया अपने कुटुम्ब की सहायता से की जाती है या सरकार द्वारा स्थापित या उससे सहायता या मान्यताप्राप्त करने वाले किसी विद्यालय को लागू नही होगा।

आयु के बारे में विवाद।

10. यदि किसी ऐसे बालक की, जो अधिष्ठाता द्वारा किसी स्थापन में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात किया जाता है, आयु के बारे में निरीक्षक और अधिष्ठाता के बीच कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वह प्रश्न, विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ऐसे बालक की आयु के बारे में दिए गए प्रमाणपत्र के अभाव में, निरीक्षक द्वारा विहित चिकित्सा प्राधिकारी को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

रजिस्टर का रखा जाना।

11. प्रत्येक अधिष्ठाता द्वारा किसी स्थापन में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात बालकों के संबंध में एक रजिस्टर रखा जाएगा जो काम के घंटों के दौरान सब समयों पर या जब किसी ऐसे स्थापन में काम हो रहा हो, तब सभी समयों पर निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलभ्य होगा, जिसमें निम्नलिखित दर्शित होंगे:—

(क) काम के लिए इस प्रकार नियोजित या अनुज्ञात किए गए प्रत्येक बालक का नाम और उसके जन्म की तारीख;

(ख) किसी ऐसे बालक के काम के घंटे और कालावधियां तथा विश्राम के वे अन्तराल जिनका वह हकदार है;

(ग) किसी ऐसे बालक के काम की प्रकृति; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

धारा 3 और धारा 14 की संक्षिप्ति को अंतर्विष्ट करने वाली सूचना का संप्रदर्शन।

12. प्रत्येक रेल प्रशासन, प्रत्येक पत्तन प्राधिकारी और प्रत्येक अधिष्ठाता, यथास्थिति, अपनी रेल के प्रत्येक स्टेशन पर या किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर या काम के स्थल पर, किसी सहजदृश्य और सुगम स्थान पर स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में, इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 14 की संक्षिप्ति अन्तर्विष्ट करने वाली सूचना संप्रदर्शित करवाएगा।

स्वास्थ्य और सुरक्षा।

13. (1) समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी स्थापन या किसी वर्ग के स्थापनों में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात बालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) काम के स्थल पर सफाई और उसकी न्यूसेंस से मुक्ति;

(ख) अपशिष्ट और बहि:स्राव का व्ययन;

(ग) संवातन और तापमान;

(घ) धूल और धूम;

(ङ) कृत्रिम नमीकरण;

(च) प्रकाश;

(छ) पीने का पानी;

(ज) शौचालय और मूत्रालय;

(झ) थूकदान;

(ञ) मशीनरी पर बाड़ लगाना;

(ट) मशीनरी के गतिमान होने पर उस पर या उसके निकट काम;

(ठ) खतरनाक मशीनों पर बालकों का नियोजन;

(ड) खतरनाक मशीनों पर बालकों के नियोजन के संबंध में अनुदेश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण;

(ढ) बिजली काटने के लिए युक्तियां;

(ण) स्वक्रीय मशीनें;

(त) नई मशीनरी का सुकरण;

(थ) फर्श, सीढ़ियां और पहुंचने के साधन;

(द) गर्त, चौबच्चे, फर्शों में विवर, आदि;

(घ) अत्यधिक वजन;

(न) आंखों का संरक्षण;

(प) विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस, आदि;

(फ) आग लगने की दशा में पूर्वावधानियां;

(ब) भवनों का अनुसरण, और

(भ) भवनों और मशीनरी की सुरक्षा।

भाग 4

प्रकीर्ण

शास्तियां।

14. (1) जो कोई किसी बालक को धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करेगा या काम करने के लिए अनुज्ञात करेगा, वह कारावास, से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) जो कोई धारा 3 के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाएगा और तत्पश्चात् वैसा ही अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(3) जो कोई—

(क) धारा 9 द्वारा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहेगा; या

(ख) धारा 11 की अपेक्षानुसार रजिस्टर रखने में असफल रहेगा या किसी ऐसे रजिस्टर में मिथ्या प्रविष्टि करेगा; या

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

18. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

* * * * *

(ख) उन घंटों की संख्या, जिनके लिए किसी बालक को धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात किया जा सकेगा;

(ग) नियोजन में या नियोजन चाहने वाले अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में आयु के प्रमाणपत्र का दिया जाना, चिकित्सा प्राधिकारी, जो ऐसा प्रमाणपत्र दे सकेंगे, ऐसे प्रमाणपत्र का प्ररूप, वे प्रभार जो उसके अधीन दिए जा सकेंगे और वह रीति जिससे ऐसा प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा:

परन्तु यदि आवेदन के साथ आयु का ऐसा साक्ष्य है जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समाधानप्रद समझा जाता है तो ऐसा प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा;

(घ) अन्य विशिष्टियां, जो धारा 11 के अधीन रखे गए रजिस्टर में होनी चाहिएं।

* * * *

अनुसूची

(धारा 3 **देखिए**)

भाग क—उपजीविकाएं

निम्नलिखित से संबंधित कोई उपजीविका—

(1) यात्री, माल या डाक का रेल द्वारा परिवहन।

(2) रेल परिसरों में सिंडर चुनना, भस्म गर्त को साफ करना या भवन संक्रियाएं।

(3) किसी रेल स्टेशन पर खानपान स्थापन में कार्य, जिसके अन्तर्गत एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर या किसी गतिमान गाड़ी में या उसके बाहर स्थापन के विक्रेता या किसी अन्य कर्मचारी का गमनागमन है।

(4) रेल स्टेशन के सन्निर्माण से या किसी ऐसे अन्य कार्य से, जहां ऐसा कार्य रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाता है, संबंधित कार्य।

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकारी।

(6) अस्थायी लाइसेंस वाली दुकानों में पटाखे और आतिशबाजी को करने से संबंधित कार्य।

(7) वधशालाएं/बूचड़खाने।

(8) मोटरगाड़ी वर्कशाप और गैरेज।

(9) ढलाई कारखाना।

(10) विषैले या ज्वलनशील पदार्थों या विस्फोटकों की उठाई-धराई।

(11) हथकरघा और विद्युत चालित करघा उद्योग।

(12) खानें (भूमिगत और अंतर्जलीय) और कोलियरी।

(13) प्लास्टिक इकाइयां और फाइबर ग्लास कार्यशालाएं।

(14) घरेलू श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों का नियोजन।

(15) ढाबों (सड़क के किनारे खान-पान के (ठिकानों), रेस्तरां, होटलों, 'मोटलों', स्पा या अन्य मनोरंजन केन्द्रों में बच्चों का नियोजन।

(16) गोताखोरी।

भाग ख—प्रक्रियाएं

(1) बीड़ी बनाना।

(2) कालीन बुनना जिसके अंतर्गत उसकी प्रारंभिक और आनुषंगिक प्रक्रिया भी है।

(3) सीमेंट बनाना, जिसके अन्तर्गत सीमेंट को बोरियों में भरना है।

(4) कपड़ा छपाई, रंजन और व्यूतन जिसके अंतर्गत उसकी प्रारंभिक और आनुषंगिक प्रक्रिया भी है।

(5) दियासलाई, विस्फोटक और आतिशबाजी का विनिर्माण।

(6) अभ्रक काटना और विपाटन।

(7) चमड़ा विनिर्माण।

(8) साबुन विनिर्माण।

(9) चर्म शोधन।

(10) ऊन की सफाई।

(11) भवन और सन्निर्माण उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रेनाइट (मकराना) पत्थरों का प्रसंस्करण और उनकी पालिश करना भी है।

(12) स्लेट पेन्सिलों का (जिसके अंतर्गत पैक करना भी है) विनिर्माण।

(13) सुलेमानी पत्थर से उत्पादों का विनिर्माण।

(14) विषाक्त धातुओं और पदार्थों जैसे कि सीसा, पारा, मैंगनीज कैडमियम, बैन्जीन, नाशक जीवमार और एस्बेस्टस का उपभोग करने की विनिर्माण प्रक्रियाएं।

(15) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (गख), में यथापरिभाषित ''जोखिमकारी संक्रियाएं'' तथा धारा 87 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा अधिसूचित ''खतरनाक संक्रियाएं''। 1948 का 63

(16) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ट) में यथा परिभाषित मुद्रण। 1948 का 63

(17) काजू तथा काजूगिरी छिलाई और प्रसंस्करण।

(18) इलेक्ट्रानिक उद्योगों में टांका लगाने संबंधी संक्रियाएं।

(19) ''अगरबत्ती'' विनिर्माण।

(20) आटोमोबाइल मरम्मत और अनुरक्षण जिसके अन्तर्गत उसकी अनुषंगी प्रक्रियाएं भी हैं जैसे वेल्डिंग, लेथ संकर्म, डेन्ट बीटिंग और पेंटिंग शामिल है।

(21) ईंट भट्टे और खपरैल इकाइयां।

(22) सूत कताई और प्रसंस्करण हौजरी माल का उत्पादन।

(23) अपम जर्क का विनिर्माण।

(24) गढ़ाई वर्कशाप (लौह और अलौह)।

(25) रत्न तराशना और पॉलिश करना।

(26) क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क की उठाई-धराई।

(27) जूट कपड़ा विनिर्माण और कयर बनाना।

(28) चूना भट्टा और चूने का विनिर्माण।

(29) ताले बनाना।

(30) विनिर्माण प्रक्रियाएं, जिनमें सीसा का उद्भासन होता है जैसे सीसा लेपित धातु निर्मितियों का प्राथमिक और गौण प्रगलन, वेल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट पोलीविनाइल क्लोराइड की वेल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से करना, सीसा पेंट की बालू हटाना या खुरचना, तामचीनी वर्कशापों में सीसे का दाहन, खान से सीसा निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई मुद्रणालयों में अक्षर की ढलाई भंडार टाइप की मंच-सज्जा, कारों का समंजन, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना।

(31) सीमेंट पाइपों, सीमेंट उत्पादों का विनिर्माण और अन्य संबंधित कार्य।

(32) कांच, कांच के सामान का विनिर्माण जिसके अंतर्गत चूड़ियां फ्लोरेसेन्ट ट्यूबों, बल्बों और अन्य सामान कांच के उत्पादों का विनिर्माण भी है।

(33) रंजक और रंजक द्रव्यों का विनिर्माण।

(34) जीवनाशक और कीटनाशी का विनिर्माण या उनकी उठाई-धराई।

(35) संक्षारक और विषैले पदार्थों के विनिर्माण/प्रसंस्करण; इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में धातु साफ करने, फोटो उत्कीर्णन, तथा टांका लगाने की प्रक्रियाएं।

(36) जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का विनिर्माण।

(37) खेलकूद के ऐसे माल का विनिर्माण जिसमें सिंथेटिक सामग्री रसायन और चमड़े का उद्भासन अन्तर्वलित है।

(38) फाइबर ग्लास और प्लास्टिक की मोल्डिंग और प्रसंस्करण।

(39) तेल पिराई और परिष्करण।

(40) कागज बनाना।

(41) पौटरी और चीनी मिट्टी उद्योग।

(42) सभी प्रकार के पीतल के माल का विनिर्माण, पॉलिश, ढलाई, कटाई, और वेल्डिंग करना।

(43) कृषि प्रक्रियाएं, जहां फसल की गहराई और कटाई में ट्रैक्टरों और मशीनों का उपयोग किया जाता है और भूसी कटाई।

(44) आरा मिल—सभी प्रक्रियाएं।

(45) रेशम संसाधन।

(46) चमड़ा और उसके उत्पाद बनाने के लिए स्किनिंग, डाईंग और प्रक्रियाएं।

(47) पत्थर तोड़ना और पत्थर कूटना।

(48) तम्बाकू प्रसंस्करण जिसके अन्तर्गत तम्बाकू लेई का विनिर्माण भी है, किसी भी रूप में तम्बाकू की उठाई-धराई।

(49) टायर बनाना, मरम्मत करना, ग्रेफाइट सज्जीकरण।

(50) बर्तनों को बनाना और पॉलिश करना, धातु चिक्कणन।

(51) जरी बनाना (सभी प्रक्रियाएं)।

(52) इलैक्ट्रोप्लेटिंग।

(53) ग्रेफाइट का चूर्ण करना और उससे आनुषंगिक प्रक्रिया।

(54) धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना।

(55) हीरों की कटाई और पालिश।

(56) खानों से स्लेट का निस्तारण।

(57) चिरकुट उठाना और अवशोधन।

(58) ऐसी प्रक्रियाएं, जिनमें अत्यधिक ताप (उदाहरणार्थ भट्टी के निकट कार्य करना और शीत में उच्छन होना सम्मिलित है।

(59) भौतिक प्रक्रिया द्वारा मछली पकड़ना।

(60) खाद्य प्रसंस्करण।

(61) सुपेय उद्योग।

(62) काष्ट हैडलिंग और लदाई।

(63) यांत्रिक प्रक्रिया से लकड़ी काटना।

(64) भांडागारण।

(65) ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें स्लेट, पेन्सिल उद्योग, पत्थर, घर्षण स्लेट पत्थर खनन, पत्थर खदान, अगेट उद्योग जैसे सिलिका मुक्त का उच्छन सम्मिलित है।

GMGIPMRND—3568RS(S3)—27-11-2012.